

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आ 20एर10आर0  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

पंजाब, श्री 0 मुकामिद अर्चना पत्र, राजस्व-पत्र  
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है।  
 श्रीमान - जहाँ का सही नाम श्री 0 युसुफ खान पु 0 नूर मेहमूद ए/ जाँच  
 शुद्ध किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसील तार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी सहायक उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशप्ता की जाती है।

जो एड सिकर  
 लिफाई नं- 17  
 जहाँ का सही नाम श्री 0  
 युसुफ खान पु 0 नूर मेहमूद  
 13/1/21

तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी  
 तहसीलदार गुढा गौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला शुंभुनू (राज.)

-- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, मत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	डीवाला	2075-78	259	श्री 0 युसुफ खान पु 0 नूर मेहमूद 1/15 भागा आकामाक नूर मेहमूद 1/15 भागा न. नं 0 का खालीदार श्री 0 युसुफ खान पु 0 नूर मेहमूद (मुकामिद साक) 1/15 भागा 2/1/21	श्री 0 युसुफ खान पु 0 नूर मेहमूद 1/15 भागा न. नं 0 का खालीदार श्री 0 युसुफ खान पु 0 नूर मेहमूद (मुकामिद साक) 1/15 भागा 2/1/21

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 13/1/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 2159

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्तव पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

